अध्याय I
परिदृश्य और नीतिगत परिवेश

परिचय

1.1 वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम उच्च स्तर पर बना रहा, साथ ही वैश्विक वृद्धि की स्थिति नाजुक और बहाली की गति भिन्न रही है। इस दौरान वैश्विक समष्टि-वित्तीय जोखिम उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर परिवर्तित हो गए, जिसमें उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वृद्धि की कमजोर होती संभावनाओं, कम होते पण्य-वस्तु मूल्यों और डॉलर[1] की मजबूती के दबावों का सामना करना पड़ रहा है। तथापि, उभरते विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था काफी समुत्थानशील रही है और ऐसा अर्थव्यवस्था में मामूली सुधार, कम होती मुद्रास्फीति और गतिशील पूंजी प्रवाहों के कारण हुआ है, जिन्होंने बाह्य क्षेत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद की।

1.2 तथापि, वर्ष के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का कार्यनिष्पादन धीमा रहा। इसका पहला कारण यह था कि बैंकिंग क्षेत्र ने वर्ष 2014-15 में तुलनपत्रों में कमी दर्शाई और यह ऐसी प्रवृत्ति है जो वर्ष 2011-12 में शुरू हुई थी। सबसे अधिक मंदी बैंक ऋण में देखी गई जो इस वर्ष के दौरान एक अंक के आंकड़े में रह गई। दूसरा, जबकि बैंकिंग क्षेत्र के लाभ में पिछले वर्ष की पूर्ण गिरावट की तुलना में वृद्धि हुई, यह वृद्धि बैंकों की आय वृद्धि में हुई बढ़ोतरी की अपेक्षा परिचालन खर्चों में कमी के कारण हुई। तीसरा, लाभ वृद्धि दर में बढ़ोतरी होने के बावजूद भी आस्तियों पर प्रतिफल (आरएओ), जो वित्तीय व्यवहार्यता का आम सूचकांक है, में वर्ष 2014-15 में कोई सुधार नहीं देखा गया। विशेषरूप से, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता हाल के वर्षों में उनके आस्तियों पर प्रतिफल के काफी कम होने से घट गई। चौथा, सामान्य रूप से बैंकों और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट इस वर्ष चिंताग्रस्त आस्तियों की मात्रा और अनुपात में बढ़ोतरी के साथ जारी रही।

1.3 बैंकिंग क्षेत्र के अन्य घटक, नामतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) की लाभ वृद्धि में गिरावट देखी गई। तथापि स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) की लाभप्रदता में सुधार देखा गया।

1.4 भारतीय वित्तीय परिदृश्य के दूसरे प्रमुख वर्ग अर्थात शहरी और ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों के परिचालनों में भी उन समस्याओं से जूझना पड़ा, जो बहु विनियामक नियंत्रण और अभिशासन के कारण उत्पन्न हो रही हैं। उचित विनियामक बदलाव शुरू करके इन समस्याओं का हल करने में प्रगति धीमी हुई है और यही स्थिति 2014-15 में भी जारी रही। इन उपायों ने कुल मिलाकर हाल के वर्षों में इन संस्थाओं के वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार करने में सहायता की है। तथापि, यह सुधार धीमी गति से हुआ और यह सहकारी प्रणाली के कुछ सेगमेंट तक ही सीमित रहा। उदाहरण के रूप में, जहां, राज्य स्तरीय अल्पावधि सहकारी ऋण संस्थाओं के वित्तीय स्थिरता सूचकांकों में सुधार हुआ है, वहीं, दीर्घावधि संस्थाओं की आस्ति गुणवत्ता चिंता का विषय बनी रही।

1.5 अंततः 2014-15 में अन्य मामलों में इस क्षेत्र को प्रतिबिंबित करते हुए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), जो वित्तीय सेवाओं में अनेक विशिष्ट मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, के तुलन-पत्र और वित्तीय कार्यनिष्पादन कुछ मामलों में वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र से अलग थे। एनबीएफसी की ऋण वृद्धि बैंक की ऋण वृद्धि से अधिक रही और इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धिशील प्रवृत्ति देखी गई। तथापि, वाणिज्य बैंकों की तरह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्ति गुणवत्ता में भी गिरावट आई।

1.6 कुल मिलाकर, वर्ष 2014-15 के लिए बैंकिंग क्षेत्र और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के परिचालनों में अनेक कमजोर पहलू देखे गए हैं। तथापि, लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता और पूंजी स्थिति के मामले में वैश्विक बैंकिंग प्रवृत्तियों से तुलना करने पर पाया गया कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन बहुत खराब नहीं रहा है। इसके अलावा, वर्ष 2014-15 और इससे पहले के वर्षों में किए गए विनियामक उपायों से इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली कई अल्पावधि समस्यों का समाधान होने की संभावना है और इसके साथ ही इस क्षेत्र में मध्यम से दीर्घावधि सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

[1] वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट - अप्रैल 2015, आईएमएफ

1.7 इस वर्ष के दौरान किए गए कुछ प्रमुख विनियामक उपाय तथा ऐसे उपाय, जो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने में सहायक होंगे, निम्नवत हैं:[2]

बैंकिंग क्षेत्र में दबाव कम करना

1.8 चूंकि आस्ति गुणवत्ता में गिरावट सामान्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रमुख चिंता का क्षेत्र रहा है, वर्ष 2014-15 सहित हाल के वर्षों में बैंकों के तुलन-पत्रों में दबाव कम करने के लिए अनेक विनियामक उपाय किए गए हैं। अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को पुनरुज्जीवित करने के लिए मूल ढांचा रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 2014 में जारी किया गया था। इसके बाद अनेक विनियामक उपाय किए गए, जिनका उद्देश्य दबावग्रस्त आस्तियों के सुधार, पुर्नरचना और बहाली के लिए एक प्रणाली की शुरुआत करना था। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ दबावग्रस्त आस्तियों के लिए संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलएफ) द्वारा सुधारात्मक कार्ययोजना तैयार करना, लचीली पुनर्संरचना के भाग के रूप में दीर्घावधि परियोजनाओं के लिए आवधिक वित्तपोषण और दीर्घावधि भुगतान समय-सारणी निर्धारित करना, बुनियादी सुविधा क्षेत्र की परियोजनाओं के ऋण के मामले में उन्हें एनपीए करार दिए बिना कतिपय शर्तों के अधीन वाणिज्यिक परिचालनों के शुरू होने की तारीख में विस्तार करना, ऋण की कार्यनीतिक पुनर्रचना करना, जिसमें ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने का प्रावधान हो, इरादतन चूककर्ताओं और गैर-सहकारी उधारकर्ताओं के वर्गीकरण के बारे में दिशानिर्देश जारी करना शामिल था।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में सुधार करना

1.9 सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भारतीय बैंकिंग की पहुंच को भौगोलिक और क्षेत्रगत रूप से विस्तार करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसके अलावा, ये बैंक देश की बड़ी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए ऋण सहायता प्रदान करने में मददगार रहे हैं। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंक वर्तमान समय में लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता से संबंधित अनेक तात्कालिक और पूंजी स्थिति और अभिशासन संबंधी अनेक दीर्घकालिक मुद्दों से प्रभावित रहे हैं।

1.10 इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए कतिपय सुधार उपाय शुरू करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, सरकार ने अगस्त 2015 में इंद्रधनुष (सात बिंदु कार्ययोजना) पैकेज के भाग के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित विनियामक सुधारों की घोषणा की। इसमें मई 2014 में भारत में बैंकों के बोर्डों के अभिशासन की समीक्षा करने वाली समिति (अध्यक्षः डॉ. पी.जे. नायक) द्वारा की गई अनेक सिफारिशें शामिल थी।

1.11 इस पैकेज के तहत मुख्य सुधारों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया की पुनर्संरचना करना शामिल था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों का कार्यपालक प्रबंध निदेशक और गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप वर्गीकरण का कार्य दिसंबर 2014 में किया गया था। इन दोनों उपायों से बैंकों के बोर्डों के परिचालन में व्यावसायिकता आएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी दक्षता में सुधार होगा।

1.12 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कार्यनिष्पादन और आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण को देखते हुए वर्ष 2019 तक ₹700 बिलियन पूंजी डालने के प्रस्ताव के साथ सात बिंदु योजना के भाग के रूप में पूनर्पूंजीकरण की एक नई योजना भी शुरू की गई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कम होती पूंजी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह पूंजी सहायता उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और इससे वे बासेल III फ्रेमवर्क को अपना सकेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रमुख कार्यनिष्पादन सूचकों (केपीआई) के आधार पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए जवाबदेही फ्रेमवर्क की भी शुरूआत की गई है जो मात्रात्मक और गुणवत्ता सूचकों का उपयोग करते हुए इन बैंकों के कार्यनिष्पादन का आकलन करेगा। इससे सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समग्र कार्यसंचालन में सुधार होगा और इससे वे अपने हितधारकों के प्रति अधिक जवाबदेह बन पाएंगे।

मौद्रिक नीति अंतरण में सुधार करना

1.13 वर्ष 2014-15 में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को संशोधित और सुदृढ़ बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति (अध्यक्षः डॉ. ऊर्जित आर. पटेल) की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए, रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति निर्माण के लिए लचीली मुद्रास्फीति लक्षित दृष्टिकोण अपनाया, जिसका लक्ष्य मौद्रिक नीति को अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमेय बनाना था। तथापि, ऋण बाजार में कुछ संरचनात्मक कठिनाइयों से मौद्रिक नीति के अंतरण में बाधा आती है। आधार दर प्रणाली से चिपके रहना अपने आप में प्रभावी अंतरण में एक रुकावट है। इसलिए, वर्ष 2014-15 में रिज़र्व बैंक ने अधिक बारंबार आधार पर अपनी आधार दर पद्धति में संशोधन करने के लिए बैंकों को अनुमति दी और उन्हें आधार दर की गणना के लिए निधियों की औसत लागत की बजाय निधियों की मार्जिनल लागत का उपयोग

[2] बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित नीतिगत उपायों के विस्तृत घटनाक्रम के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, 2014-15 देखें।

करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अतिरिक्त, बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे मार्जिनल लागत मूल्यनिर्धारण प्रणाली अपनाएं और फिर बाजार बेंचमार्कों का उपयोग करें।

बैंकों के चलनिधि मानकों को सुदृढ़ बनाना

1.14 जहां, भारतीय बैंक बासेल III फ्रेमवर्क में यथानिर्धारित पूंजी मानकों में अंतरित होने की प्रक्रिया में हैं, वहीं, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा सुझाए गए सुधार पैकेज को कार्यान्वित करने में चलनिधि मानकों का कार्यान्वयन दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। रिज़र्व बैंक के अंतिम दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, चलनिधि मानकों पर बासेल III फ्रेमवर्क के भाग के रूप में चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) को 1 जनवरी 2015 से लागू कर दिया गया है। बैंकों के लिए इस अनुपात का अनुपालन आसान बनाया गया है क्योंकि उनका सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) निवेश का एक भाग उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों के रूप मे वर्गीकृत करने के लिए पात्र माना गया है। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने चलनिधि निगरानी उपकरण और चलनिधि प्रकटन भी निर्धारित किए हैं जिससे बैंकों के चलनिधि प्रबंधन को सुदृढ़ बनाया जा सके।

बैंकिंग प्रणाली में लीवरेज़ बढ़ने की निगरानी

1.15 भारत बासेल III फ्रेमवर्क के अनुसार पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को अपनाने में आगे रहा है और वास्तव में भारत ने बीसीबीएस द्वारा सिफारिश किए गए जोखिम भारित आस्ति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) से अधिक पूंजी अनुपात निर्धारित किया है। जनवरी 2015 में, भारत में 4.5 प्रतिशत के सांकेतिक लीवरेज़ अनुपात के रूप में एक सरल, बैक-स्टॉप, गैर-जोखिम आधारित उपाय किया गया है जो बीसीबीएस द्वारा इसके लिए अंतिम मानदंड निर्धारित किए जाने तक समानांतर प्रक्रिया का एक भाग है। इस अनुपात से अपेक्षा है कि इससे बैंकों द्वारा अधिक जोखिम उठाने और तुलन-पत्र और तुलन-पत्रेतर लीवरेज़ के बढ़ने की निगरानी करने में जोखिम आधारित सीआरएआर की पूर्ति होगी।

टू-बिग-टु फेल की समस्या से निपटना

1.16 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने 9 नवंबर 2015 को बैंकों के लिए 'टू-बिग-टु फेल' से निपटने के लिए अपने सुधार एजेंडा के भाग के रूप में वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (जी-सिब) के लिए कुल हानि सहन करने की क्षमता संबंधी अंतिम (टीएलएसी) मानदंड जारी किए हैं। यह मानक इस तरह तैयार किया गया है कि यह सुनिश्चित हो सके कि वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (जी-सिब) के पास व्यवस्थित समाधान प्रक्रिया लागू करने के लिए हानि सहन करने और पुनर्पूंजीकरण की पर्याप्त क्षमता हो जो वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव को कम करे, महत्वपूर्ण कार्यों की निरंतरता बनाए रखे और सरकारी निधियों को हानि से बचाए।

1.17 यह मानक सभी एफएसबी अधिकारक्षेत्रों में लागू किया जाएगा। वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (जी-सिब) से अपेक्षा है कि वे बासेल III फ्रेमवर्क में निर्धारित न्यूनतम विनियामक अपेक्षाओं के साथ टीएलएसी की अपेक्षा को पूरा करें। उनसे अपेक्षा है कि वे समाधान समूह की जोखिम भारित आस्तियों की टीएलएसी जरूरत का कम से कम 16 प्रतिशत को 1 जनवरी 2019 से और 18 प्रतिशत को 1 जनवरी 2022 से पूरा करें। 1 जनवरी 2019 से न्यूनतम टीएलएसी बासेल III लीवरेज़ अनुपात विभाजक (न्यूनतम टीएलएसी लीवरेज़ अनुपात एक्सपोज़र (एलआरई)) का कम से कम 6 प्रतिशत और 1 जनवरी 2022 से 6.75 प्रतिशत होना चाहिए। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमईज़) में वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (जी-सिब) के मुख्यालयों से अपेक्षा है कि वे जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यए) के 16 प्रतिशत और एलआरई न्यूनतम टीएलएसी अपेक्षा के 6 प्रतिशत को 1 जनवरी 2025 तक और जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यए) के 18 प्रतिशत और एलआरई न्यूनतम टीएलएसी अपेक्षा के 6.75 प्रतिशत को 1 जनवरी 2028 तक पूरा करें। यदि अगले पांच वर्षों में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय और गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों या बकाया बांड उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी के 55 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो अनुपालन अवधि को तेज किया जाएगा। टीएलएसी मानक के कार्यान्वयन की निगरानी एफएसबी द्वारा की जाएगी और तकनीकी कार्यान्वयन की समीक्षा वर्ष 2019 के अंत तक की जाएगी।

1.18 हालांकि भारत में 17 वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक (जी-सिब) कार्यरत हैं किंतु इनमें से किसी का भी मुख्यालय भारत में नहीं है। घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (डी-सिब) की पहचान और इन संस्थाओं के लिए अतिरिक्त पूंजी प्रभार तैयार करना भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की प्रणालीगत स्थिरता को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जहां, एफएसबी द्वारा वैश्विक प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (जी-सिब) का विनियामक प्रबंध फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, वहीं, रिज़र्व बैंक ने घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (डी-सिब) के लिए दिशानिर्देश बनाए हैं। तदनुसार, घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों (डी-सिब) की

सूची अगस्त 2015 में जारी की गई जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र बैंकों में से एक-एक बड़े बैंक को शामिल किया गया है। इस सूची को प्रत्येक वर्ष अगस्त में अद्यतन किया जाएगा और चिह्नित बैंकों को अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।

अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों के साथ अनुरूपता

1.19 बैंकिंग क्षेत्र के लिए चालू वैश्विक सुधारों का एक महत्वपूर्ण घटक लेखांकन सुधार है जिससे कि बैंक अपने वित्तीय विवरणों को एक मानकीकृत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य स्वरूप में तैयार कर सकें। भारतीय लेखांकन मानकों के तहत वर्तमान लेखांकन फ्रेमवर्क का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ अनुरूपता का मुद्दा वर्ष 2006 से विचाराधीन है। इस उद्देश्य के लिए आईएफआरएस कार्यान्वित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक रूपरेखा प्रस्तावित की गई जिससे अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वर्ष 2018-19 से आईएफआरएस में अंतरित हो सकेंगी।

बैंकों और गैर-बैंकों के बीच विनियामक मध्यस्थता को कम करना

1.20 एफएसबी द्वारा परिकल्पित सुधारों का एक प्रमुख घटक छाया बैंकिंग क्षेत्र के व्यवहार से संबंधित है। भारतीय संदर्भ में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को छाया बैंक माना गया है। तथापि, अन्य देशों में छाया बैंकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों का भारत में अधिक अस्तित्व नहीं है क्योंकि इनको अच्छी तरह से विनियंत्रित किया गया है और ये कोई मिश्रित वित्तीय लेनदेन नहीं करते हैं।

1.21 वर्ष 2014-15 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को नियंत्रित करने वाले विनियमनों को और सुदृढ़ बनाया गया, जिससे कि इन संस्थाओं और बैंकों के बीच विनियामक मध्यस्थता को कम किया जा सके। तदनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए प्रावधानीकरण और आस्ति वर्गीकरण संबंधी नपे-तुले सुदृढ़ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य बैंकों की तरह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने बड़े ऋणों का प्रकटन करें और अपनी ऋण बहियों में दबाव के शुरुआती संकेतों का पता लगाने के लिए विशेष उल्लेख खातों (एसएसए) के रूप में आस्तियों की एक विशेष उप-श्रेणी सृजित करें। पूंजी आधार बढ़ाने और जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए और अधिक जमाराशि जुटाने के लिए क्रेडिट रेटिंग करवाने की विनियामक अपेक्षाओं के साथ हाल में किए गए उपायों से संपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के लिए एक बेहतर विनियामक आधार का निर्माण होगा।

शहरी सहकारी बैंकों की लाइसेंसिंग और विस्तार के कार्य को पुनः शुरू करना

1.22 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) ने 20वीं शताब्दी के आरंभ में अपनी शुरुआत से और इसके बाद 1966 में इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम (सहकारी सोसाइटियों पर यथा लागू) के दायरे में लाने के बाद से भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथापि, इन बैंकों की तेज वृद्धि वित्तीय सुदृढ़ता के बारे में बढ़ती चिंता को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2005 में इन संस्थाओं के स्वैच्छिक समेकन की प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रक्रिया का लक्ष्य वित्तीय रूप से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंकों की वृद्धि को बढ़ावा देना और कमजोर बैंकों को बिना किसी हानि के प्रणाली से बाहर निकालना था। परिणामस्वरूप, नए सिरे से शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने पर भी रोक लगा दी गई थी।

1.23 तथापि, इस क्षेत्र के समेकन के संबंध में काफी प्रगति हुई, फिर भी लाइसेंस प्रदान करने के मुद्दे पर हाल की दो समितियों यथा नए शहरी सहकारी बैंकों की लाइसेंसिंग पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्षः श्री वाई.एच. मालेगाम) और शहरी सहकारी बैंकों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (अध्यक्षः श्री आर. गांधी) द्वारा पुनर्विचार किया गया। उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने वित्तीय स्थिरता, वित्तीय समावेशन, मौजूदा विधिक ढांचे और अलग-अलग शहरी सहकारी बैंकों के कारोबार से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नए शहरी सहकारी बैंकों की लाइसेंसिंग की समय-सीमा और शर्तों का सुझाव दिया है। समिति ने सुझाव दिया है कि ₹200 बिलियन या उससे अधिक के कारोबार वाले शहरी सहकारी बैंक वाणिज्य बैंक में परिवर्तित किए जाने के लिए पात्र हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, छोटे शहरी सहकारी बैंक थ्रेशोल्ड सीमा को ध्यान में रखे बिना लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में स्वेच्छा से परिवर्तित हो सकते हैं बशर्ते कि वे पात्रता के सभी मानदंडों को पूरा करते हों और एसएफबी के लिए लाइसेंसिंग सुविधा खुली हो।

बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक समावेशी बनाना

1.24 रिज़र्व बैंक की वरीयता सूची में वित्तीय समावेशन शीर्ष पर है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे बोर्ड द्वारा वर्ष 2010 से अनुमोदित तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन योजनाओं को आगे बढ़ाएं। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना

(पीएमजेडीवाई) की शुरुआत के साथ भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन के कार्य को उच्च वरीयता दी है।

1.25 रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2014-15 में किए गए कई उपायों से वित्तीय समावेशन के प्रति उसकी वचनबद्धता की पुनःपुष्टि हुई है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं : वित्तीय समावेशन हासिल करने के लिए दो सार्वभौमिक बैंकों को उनकी कारोबार योजना के आधार पर चिह्नित कर अगस्त 2014 में लाइसेंस प्रदान करना, लघु भुगतानों/अर्थव्यवस्था में वित्त आवश्यकताओं का प्रबंध करने के लिए भुगतान बैंकों के लिए 10 अलग-अलग लाइसेंस और और लघु वित्त बैंकों के लिए 11 लाइसेंस, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दिशानिर्देशों को संशोधित करना जिसमें लघु और मार्जिनल किसानों तथा सूक्ष्म-उद्यमों और कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) दिशानिर्देशों को अधिक सरल बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त, वित्तीय समावेशन के लिए मध्यावधि (पांच वर्ष) मापन योग्य कार्य-योजना बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन पर मध्यावधि पथ संबंधी समिति (अध्यक्षः श्री दीपक मोहंती) का गठन किया है।

1.26 निष्कर्ष रूप में, भारत जैसी प्रगतिशील अर्थव्यवस्था जो वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनना चाहती है, के लिए प्रतिस्पर्धी, सुदृढ़ और समावेशी बैंकिंग प्रणाली एक अनिवार्य शर्त है। इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 2014-15 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी विभिन्न अग्रसक्रिय और दूरदर्शी नीतिगत उपाय किए गए। इन नीतियों से बैंक आस्ति गुणवत्ता और अल्पावधि लाभप्रदता से संबंधित चुनौतियों का सामना कर सकेंगे और इससे उन्हें दीर्घावधि में वैश्विक बैंकों से सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करते हुए बैंकिंग सेवाओं की विविध और मुख्यतः अधूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।